तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 172/2023	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.23	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.2023 में (1) कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सामान्य वितीय एवं लेखा नियम भाग।। के नियम 12 के अनुसार वर्ष 2019–20 में स्टोर का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की नियमानुसार प्रमाणित छायाप्रति (2) अन्य बिन्दू, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	